

26.07.2024:-पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया प्रार्थी व प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाही जा रही है प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सद्वयक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानबाउ

